

कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़
इंद्रावती भवन "सी" ब्लॉक तृतीय तल, नया रायपुर

कमॉक 1656 / तक / पंजी. / टीसी / 2017
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 01/12/2017

1. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
रायपुर / जगदलपुर /
बिलासपुर / अम्बिकापुर
2. अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
दुर्ग / राजनांदगाँव
3. जिला परिवहन अधिकारी,
कबीरधाम / कांकेर / महासमुंद / धमतरी / कोरबा / दंतेवाड़ा
जांजगीर-चांपा / रायगढ़ / कोरिया / जशपुर / गरियाबंद /
बलौदाबाजार / मुर्गेली / बालोद / बेमेतरा / कोण्डागांव / सूरजपुर,
बलरामपुर, नारायणपुर छोगा।

विषय:- M/S BENTINCK INDUSTRIES PVT. LTD. द्वारा नवनिर्मित INDIAN BUGGY (E-Rickshaw) वाहन को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- M/S BENTINCK INDUSTRIES PVT. LTD. का आवेदन पत्र दिनांक 13.11.2017

000

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184-क के तहत M/S BENTINCK INDUSTRIES PVT. LTD. द्वारा नवनिर्मित INDIAN BUGGY (E-Rickshaw) वाहन को छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीयन की अनुमति दिये जाने हेतु आवेदन परिवहन मुख्यालय में प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ विहित शुल्क (फीस) रु. 1500/- Online Bank Transaction ID क्रमांक 8CG1011176608856 दिनांक 10.11.2017 द्वारा जमा किये जाने संबंधि प्रति संलग्न की गई है। वाहन का विवरण निम्नानुसार है:-

स क्र	वाहन निर्माता का नाम	वाहन का मॉडल	वाहन का प्रकार
01	M/S BENTINCK INDUSTRIES PVT. LTD.	CAMB 0162 Date:-17 th July 2017 Base Model:- INDIAN BUGGY Type:- (E-Rickshaw) Seating Capacity(Incl.driver):- 05 Persons GVW:- 720 kg.	Special Purpose Battery Operated Three Wheeler

उपरोक्त वाहन मॉडल के संबंध में प्रोटोटाइप जिस प्रकार से प्रमाणित है। मोटरयान अधिनियम 1988, केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 में विहित प्रावधानों तथा वाहन मॉडल के संबंध में प्रोटोटाइप के अनुसार पंजीयन करना सुनिश्चित करें।
(परिवहन आयुक्त द्वारा आदेशित)



(Signature)
01.12.17
(श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा)
उप-परिवहन आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

निरंतर.....2..